सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निदेशालय कोष एवं लेखा

1. अपने संगठन की विशिष्टयां, कृत्य और कर्तव्य

1. निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग जो वित्त विभाग के अधीन है, राज्य सरकार के वित्तीय लेखांकन तथा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—ा/॥ का पदस्थापन / स्थानान्तरण एवं सेवा संबंधी कार्य किये जाते है एवं कनिष्ठ लेखाकार संवर्ग का संस्थापन संबंधित समस्त कार्य यथा कनिष्ठ लेखाकार पद की नवीन भर्ती अयोजित करवाना,

नियुक्ति / पदस्थान एवं स्थानान्तरण संबंधित कार्य किये जाते है।

2. निदेशालय कोष एवं लेखा का गठन राज्य के सभी कोषालयों, उपकोषालयों पर तकनीकी एवं वित्तीय नियंत्रण, बजट एवं कोष कार्यालयों की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली का संचालन तथा कोषालय से प्राप्त विभिन्न विभागों के आय एवं व्यय के मासिक आंकडें संकलित कर वित्त विभाग को उपलब्ध कराना है साथ ही राज्य के कोषालयों द्वारा प्रतिमाह रक्षा, केन्द्रीय, उत्तरी रेल्वे तथा पश्चिमी रेल्वे पेंशनरों को किये जाने वाले पेंशन भुगतान के वाउचर क्रमशः रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, दिल्ली/वरिष्ठ मण्डल लेखाधिकारी/वित्त प्रबंधक उत्तर-पश्चिमी रेल्वे जयपुर को प्रेषित कर उसके पुनर्भरण प्राप्त करने के कार्य में महालेखाकार, राजस्थान को सहयोग प्रदान करना है तथा दीर्घकालीन ऋणों के खातों का कोषालयों के माध्यम से संधारण करना एवं कर अल्प बचत एवं लॉटरी विभाग के बकाया कार्यों का निष्पादन करना।

अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ

विभाग में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के संचालन एवं नियंत्रण हेतु तथा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के कार्मिकों की पदोन्नती एसीपी स्थानान्तरण संबंधी कार्य के लिए राजस्थान लेखा सेवा के सुपरटाईम स्केल के 03 अधिकारी अतिरिक्त निदेशक के पद पर कार्यरत है। इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रशासनिक कार्य हेतु तथा कोष संबंधी कार्य के लिए राजस्थान लेखा सेवा के चयन वेतन श्रृंखला के 02 अधिकारी संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत है। जिनकी सहायता के लिए अन्य कार्मिक भी विभाग में कार्यरत है। जिनके द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, यात्रा भत्ता नियम, सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण (सी.सी.ए.) नियम एवं वित्त (जी.एफ. एण्ड ए.आर.) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.02.2019 में वर्णित / प्रदत्त शक्तियों तथा कार्मिक विभाग द्वारा जारी पदोन्नित नियम, वार्षिक कार्य मूल्यांकन नियम आदि के अनुसार कार्य सम्पादित किया जाता है।

3. विनिश्चय करने की प्रकिया में पालना की जाने वाली प्रकिया जिससे पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है

विभाग में प्राप्त पत्र प्राप्ति शाखा में प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक दिन सभी पत्रों को प्राप्त कर प्रभारी अधिकारी, आवक-जावक शाखा (प्रशासन) द्वारा पत्रों में मार्किंग कर पत्र प्राप्ति पंजिका में इन्द्राज करने हेतु पत्र प्राप्ति लिपिक के पास भिजवा दिये जाते है। लिपिक द्वारा पंजिका में इन्द्राज कर संबंधित शाखा में वितरित किया जाता है। संबंधित पत्रावली पर पत्र को शाखा प्रभारी अधिकारी के माध्यम से संबंधित अधिकारी को नियमों के संदर्भ अंकित करते हुए, नियमों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रकरण पर निर्णय लिया जाता है। निदेशक महोदय की स्वीकृति होने पर प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक प्रकरण में पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही निर्धारित हो जाती है।

4. अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु स्वयं द्वारा स्थापित मापद्ण्ड

लाग् नहीं

5. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान सेवा नियम, RTPP Act 2012, RTPP Rules, 2013, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, यात्रा भत्ता नियम, सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण (सी.सी.ए.) नियम एवं वित्त (जी.एफ. एण्ड ए.आर) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.02.2019 में वर्णित / प्रदत्त शक्तियों तथा कार्मिक विभाग द्वारा जारी पदोन्नति नियम, वार्षिक कार्य मूल्यांकन नियम आदि के अनुसार प्रकरणों पर कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है प्रवर्गों का विवरण

विभाग के विभिन्न अनुभागों द्वारा निम्नानुसार पंजिकायें रखी जाती है:-

1. प्राप्ति पंजिका

2. पत्र जावक (डिस्पेच) पंजिका

3. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—ा/॥ एवं कनिष्ठ लेखाकारों का जिलेवार पोस्टिंग रजिस्टर

4. संवर्गानुसार उक्त पदों के स्वीकृत पदों का विभागवार विवरण पंजिका

5. अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के कर्मचारियों की व्यक्तिगत पंजिकाएं

6. अधीनस्थ लेखा सेवा के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के प्राप्ति हेतु संवर्गवार व कार्मिकवार अलग-अलग पंजिकाऐं

7. 1 अप्रैल की स्थिति में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1/11 एवं कनिष्ठ लेखाकारों की वरिष्ठता

8. उक्त के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज यथा निलम्बित कार्मिकों की सूचना एवं उनकी बहाली से संबंधित पंजिका, अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण पंजिका, वित्तीय वर्ष से संबंधित सेवानिवृत्त कार्मिकों की सूचना का रजिस्टर इत्यादि

CMIS रजिस्टर विधानसभा से प्राप्त प्रश्नों के प्रत्युत्तर की पत्रावली

7. किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है

> निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान, जयपुर ए-ब्लॉक तृतीयतल, वित्त भवन जनपथ,

जयपुर

ई-मेलः dir.ta.rj@nic.in

टेलीफोन न0- 0141-2740239

ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के लिए कार्यवृत तक जनता की पहुंच होगी, विवरण

लागू नहीं है।

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

विभाग में अधिकारी / कर्मचारी विभागीय कार्य सामान्य कार्यालय पद्धति के अनुसार सम्पादित करते है। शेष बिन्दु संख्या 03 के अनुसार एवं विभाग के मुख्य-मुख्य अधिकारियों की सूची संलग्न है।

			फोन नंबर पीए (पीएबीएक्स नंबर)			
क्र.सं.	नाम	पद	आईपी	पीएबीएक्स	टेलीफ़ोन	ई-मेल
1	अमिता शर्मा	अतिरिक्त निदेशक (आई.एफ.एम.एस)	-	1202	2743752	jdb-ta-rj@nic.in
2	के जी गुप्ता	अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)	-	3308	2740837	ad3-ta-rj@rajasthan.gov.in
3	अतुल खंडेलवाल	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	24626	२२०१	2744861	jdadm@rajasthan.gov.in
4	राजेंद्र प्रसाद रैगर	संयुक्त निदेशक (कार्मिक 1/कार्मिक II)	22314	-	2740735	jdp1-ta-rj@nic.in
5	कमलप्रीत कौर	ई-कोषाधिकारी	22317	2004	2744295	e-to-rj@nic.in
6	सूरज प्रकाश मीणा	संयुक्त निदेशक (कोष)	22315	1206	2744366	ddt-ta-rj@nic.in
7	जय कौशिक	संयुक्त निदेशक (आइएफएमएस)		1307	-	jd.ifms@rajasthan.gov.in
8	राजीव भटनागर	विश्लेषक-सह-प्रोग्रामर (उप निदेशक)	28655	1205	2744488	ddit.dta@rajasthan.gov.in
9	चंद्रशेखर गौड	उपविधि परामर्शी	-	1207	2740254	legal.dta@rajasthan.gov.in
10	शोभित कुमार बंसल	उपनिदेशक	-	1307	-	shobhit31191@gmail.com
11	क्स्म मीणा	उ पनिदेशक	-	1308		kusummeenajnu@gmail.com

			फोन नंबर पीए (पीएबीएक्स नंबर)			
क्र.सं.	नाम	पद	आईपी	पीएबीएक्स	टेलीफ़ोन	ई-मेल
	राजेश कुमार माथुर	निजी सचिव	22311	1302	2742309	dir-ta-rj@nic.in
13	विवेक बंसल	सहायक निदेशक	-	1307	-	ASSTDIR.IFMS@RAJASTHAN.GOV.IN
14	भारती शेखावत	सहायक निदेशक	-	1308		bhartishekhawat@rajasthan.gov
15	पवन मोदी	लेखा अधिकारी	-	1211	2743752	aaopaymanager.ifms@rajasthan.gov.in
16	राम किशोर शर्मा	प्रोग्रामर	22310	22310	2744488	rksharma.doit@rajasthan.gov.in
17	सुरेश कुमार वर्मा	लेखा अधिकारी		1211		aaowam.ifms@rajasthan.gov.in



10. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकार की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो

निदेशायल कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान, जयपुर में दिनांक 01.07.2022 को स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति

क.सं.	पदनाम		पे-लेवल		
	राज पत्रित अधिकारी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	
4	निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव	1	1	0	L-23
1	अति. निदेशक	3	3	0	L-21
2	संयुक्त निदेशक	4	2	2	L-19
3.	उपनिदेशक	2	1	1	L-16
4	इं–कोषाधिकारी	1	1	0	L-19
5 6	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	2	0	2	L-16
7	लेखाधिकारी	7	4	3	L-14
8	उपनिदेशक—कम—ए.सी.पी.	2	1	1	L-16
9	अतिरिक्त कोषाधिकारी	2	1	1	L-14
	सहायक निदेशक	7	5	2	L-14
10	सहायक लेखाधिकारी—ग्रेड—ा	5	5	0	L-12
11 12	सहायक कोषाधिकारी	1	1	0	L-12
13	उपविधि परामर्शी	1	1	0	L-18
14	वरिष्ठ विधि अधिकारी	2	0	2	L-12
15	प्रोग्रामर	1	1	0	L-12
16	निजी सचिव	1	1	0	L-15
17	अतिरिक्त निजी सचिव	2	2	0	L-12
18	प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0	L-12
19	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	5	5	0	L-11
19	योग (अ)	50	36	14	
ा)अराजपत्रित क				-1	
1	निजी सहायक	3	1	2	L-11
2	सहायक लेखाधिकारी-ग्रेड-11	21	2:	1 0	L-11
3	आशुलिपिक	4	0	4	L-10
	कनिष्ठ लेखाकार	27	22	2 5	L-10
5	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	14	13		L-10
	वरिष्ठ सहायक	28		27 1	
6	कनिष्ठ सहायक	42	3:		L-5
7	सहायक प्रोग्रामर	2	2		L-10
8		2	2		L-8
9	सूचना सहायक	1	1		L-10
10	कनिष्ठ विधि अधिकारी	3	2		L-5
11	वाहन चालक		0		L-2
12	मशीन मेन	1			L-2
13	जमादार	2	1		
- 14	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	32	1	7-2	
योग (ब)	· ×	182	13		
योग (अ+ब)		232	17	70 62	



11. सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोटों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

आय व्ययक अनुमान २०२२–२३

राज्य नि	धि .	(राशि लाख रूपयों में)		
क्र.सं.	मद	आय व्ययक अनुमान २०२२—२३		
1.	2054-00-095-01-00 दत्तमत (निदेशालय)	2606.93		
2.	2054-00-095-01-00 प्रभृत (निदेशालय)	0.01		
3.	2054-00-097-05-01 दत्तमत (कोष / उपकोष)	17549.63		
4.	4059-80-051-(42)-00-17	162.55		
5.	4059-80-796-(02)-01	21.45		
	4059-80-789-(07)-01-17	39.35		
6.	2054-00-097-01-00-05	30.00		
7.	2054-00-097-01-00-62	0.01		
8.	2054-00-097-(03)-62	4700		
9.	2054-00-800-05-01	1418.02		
10.	2054-00-190-01-01	100.02		
11.	5475-00-190-05-01	300.00		
12.	7475-00-190-02-01	0.01		

12. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है

लागू नहीं है।

13. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारो के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टिया

लागू नहीं है।

14. किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो

विभाग में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों एवं राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के कार्मिकों की विरुद्धता सूचियां एवं इस संवर्ग के पदस्थापन / स्थानान्तरण तथा अन्य सभी प्रकार के आदेशों की प्रतियां विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाती है।

15. सूचना अभिप्राप्त कराने के लिए नागरिकों को उलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण धंटे सिम्मिलित है।

लागू नहीं है।

क्र.सं.	नाम	पद	आईपी	पीएबीएक्स	टेलीफ़ोन	ई-मेल				
प्रथम अर्प	प्रथम अपीलीय अधिकारी									
1	5	संयुक्त सचिव एवं निदेशक (कोष एवं लेखा)	28653	1302	2740239	dir-ta-rj@nic.in				
लोक सू	लोक सूचना अधिकारी									
1	के जी गुप्ता	अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)	_	3308	2740837	ad3-ta-rj@rajasthan.gov.in				
2	राजेंद्र प्रसाद रैगर	संयुक्त निदेशक (कार्मिक 1/कार्मिक II)	22314	-	2740735	jdp1-ta-rj@nic.in				
3	सूरज प्रकाश मीणा	संयुक्त निदेशक (कोष)	22315	1206	2744366	ddt-ta-rj@nic.in				

17 ऐसे अन्य सूचना जो विहित की जाए |

लागू नहीं